UPRN010003102026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-183/2026

शिवकान्ती वयस्क आयु लगभग 58 वर्ष पत्नी ओमप्रकाश, निवासिनी ग्राम बहबलपुर, थाना गजनेर, जिला कानपुर देहात

.....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ०प्र० राज्य .....अभियोजन पक्ष

अपराध सं०-164/2024
धारा- 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम
व 35 विधिक माप अधिनियम
थाना-गजनेर, कानपुर देहात

दिनांक-16.03.2026

1. आवेदिका/अभियुक्ता शिवकांती की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-482 बी०एन०एस०एस० के तहत मु०अ०सं०-164/2024, धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 35 विधिक माप अधिनियम, थाना गजनेर, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा श्रीमती सुमल्लिका पूर्ति निरीक्षक तहसील अकबरपुर ने थाना गजनेर, कानपुर-देहात में इस आशय की टाइपशुदा तहरीर दी कि जिलाधिकारी महोदय के शिकायत प्रकोष्ठ से दूरभाष पर राशन वितरण में अनियमितता बरते जाने की सूचना दी गयी, जिस क्रम में दिनांक 19.07.2024 को ग्राम बहबलपुर ग्राम पंचायत जलालपुर नागिन विकाश खण्ड सरवनखेड़ा तहसील अकबरपुर की उचित दर विक्रेता श्रीमती शिवकान्ती की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता के द्वारा ई-पस लिंक्ड ईडब्ल्यूएस मशीन पर ईट रखकर कार्डधारकों से अंगूठा लगवाया जा रहा था तथा राशनकार्ड धारकों को बाद में खाद्यान्न दिये जाने का आश्वासन दिया जा रहा था। उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा शून्य पायी गयी। ई-पश मशीन को खोलकर देखा गया, जिसके अनुसार निरीक्षण के समय तक माह जुलाई 2024 का अन्त्योदय गेहूं 5.60 कुण्टल अन्त्योदय चावल 8.40 कुण्टल पात्र गृहस्थी गेहूं 16.18 कुण्टल पात्र गृहस्थी चावल 24.27 कुण्टल का वितरण प्रदर्शित होना पाया गया। स्टाक रजिस्टर पर अद्यतन प्रविष्टियां अंकित होनी नहीं पायी गयी। स्टाक रजिस्टर कार्यालय से सत्यापित होना नहीं पाया गया। वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। विक्रेता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि दुकान चलाने में एवं राशन उठान करने में विक्रेता का नाती सचिन सहयोग करता है। इस प्रकार उचित दर विक्रेता के द्वारा कुछ राशनकार्ड धारकों से ई-पश लिंक्ड ईडब्ल्यूएस मशीन पर ईंट रख तौलकर अंगूठा लगवाया जाना व खाद्यान्न का वितरण न किया जाना पाया गया, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। स्टाक रजिस्टर पर अद्यतन प्रविष्टियां अंकित न करना व वितरण रजिस्टर न बनाया जाना शासन के द्वारा दिये गये आदेश निर्देश का उल्लंघन है तथा उचित दर विक्रेता के द्वारा राशनकार्ड धारकों को वितरण हेतु गेहूं, चावल, बाजरा व चीनी का अवैध रूप से विक्रय कर कालाबाजारी करना उ०प्र० आवश्यक वस्तु आदेश 2016 में किये गये प्राविधान, निष्पादित अनुबंध पत्र की संगत धाराओं का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

3. जमानत हेतु मुख्य रूप से आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के माध्यम से यह आधार लिया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। मु०अ०सं०-164/2024 अंतर्गत धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व धारा-35 विधिक माप अधिनियम थाना गजनेर कानपुर देहात में अजमानतीय अपराध में थाना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आवेदिका/अभियुक्त के विरुद्ध जो प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०-164/2024 थाना गजनेर कानपुर देहात में दर्ज करायी गयी है वह बिल्कुल असत्य, निराधार है आवेदिका ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कोई अपराध नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्ता की दुकान में किसी प्रकार की कालाबाजारी व घटतौली नहीं की जाती है। उक्त मामला बनावटी व फर्जी है तथा सभी ग्रामवासी राशन वितरण से सन्तुष्ट हैं। आवेदिका/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के पक्ष से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है तथा तर्क दिया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्ता है, अतः प्रथम दृष्टया उनकी निर्दोषिता की अवधारणा नहीं की जा सकती है। यह भी तर्क दिया गया है कि ई-पश लिंक्ड ईडब्ल्यूएस मशीन पर ईट रखकर कार्डधारकों से अंगूठा लगवाया जा रहा था तथा राशनकार्ड धारकों को बाद में खाद्यान्न दिये जाने का आश्वासन दिया जा रहा था। स्टाक रजिस्टर पर अद्यतन प्रविष्टियां अंकित होनी नहीं पायी गयी है। स्टाक रजिस्टर कार्यालय से सत्यापित होना भी नहीं पाया गया। वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत आवेदिका/अभियुक्ता एवं एक अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, मात्र उसकी उपस्थिति हेतु सम्मन जारी है। अभियुक्ता पर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता एवं कालाबाजारी किये जाने का उल्लेख अभियोजन द्वारा किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं उल्लिखित किया गया है कि पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी हेतु कहाँ-कहाँ, किस-किस तिथि पर दबिश दी गयी। उसके द्वारा मात्र आशंका का उल्लेख किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त मामला विशेष अधिनियम से संबंधित है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये हुए इस स्तर पर अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. आवेदिका/अभियुक्ता शिवकांती का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-164/2024, धारा-3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 35 विधिक माप अधिनियम , थाना गजनेर, जिला कानपुर देहात के मामले में निरस्त किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर-देहात।

दिनांक-16.03.2026